



## एसईसीएल मुख्यालय, बिलासपुर से सुविधा लेने वाले सीपीआरएमएस-एनई सदस्यों के लिए सूचना

Contributory Post Retirement Medicare Scheme for Non-Executives (सीपीआरएमएस-एनई) (संशोधित) चिकित्सा योजना [एवं म.प्र.(श्र.श. व औ.सं.), सीआईएल के संदर्भ क्रमांक 137 दिनांक 08.04.2020, 216 दिनांक 18.11.2021 व का.निदे.(का)/विभागाध्यक्ष(श्र.श. व औ.सं.), सीआईएल के संदर्भ क्रमांक 348 dtd. 28.10.2022] के कंडिका क्रमांक 5.3 व 5.4 के तहत सभी सीपीआरएमएस-एनई सदस्यों [भूतपूर्व कर्मचारी, पत्नी/पति एवं दिव्यांग बच्चे, यदि कोई हो तो] को प्रत्येक वर्ष **नवंबर** माह में **जीवन प्रमाण-पत्र [Life Certificate]** जमा करना होता है।

वर्ष 2022 में, एसईसीएल मुख्यालय, बिलासपुर से सुविधा लेने वाले सीपीआरएमएस-एनई सदस्यों के लिए जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने हेतु निम्नलिखित का अनुपालन किया जाएगा:

1. **समय:** कार्य दिवसों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक
2. **स्थान:** सीपीआरएमएस-एनई प्रकोष्ठ [CPRMS-NE Cell], एसईसीएल मुख्यालय
3. **सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज:**
  - i. निर्धारित प्रारूप में दोनों लाभार्थियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र, जैसा कि लागू हो
  - ii. मेडिकल कार्ड [और एसईसीएल मुख्यालय से CPRMS-NE के सुविधा देने के संबंध में जारी कार्यालय आदेश, यदि कोई है] की स्वप्रमाणित प्रति
  - iii. आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति [पहचान के लिए]

### **नोट:**

1. यदि सदस्य स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, तो जीवन प्रमाण पत्र सीपीआरएमएस-एनई (संशोधित) के खंड 5.3 में उल्लिखित किसी भी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए; तथा ऐसे मामलों में दोनों सदस्यों के फोटोग्राफ को जीवन प्रमाण-पत्र पर चिपका कर संबंधित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
2. यदि संबंधित सदस्य किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से सत्यापित जीवन प्रमाण पत्र भेज रहे हैं, तो जीवन प्रमाण पत्र [उपरोक्तानुसार फोटो लगा कर सत्यापित प्रति] लाने वाले व्यक्ति की पहचान प्रमाण पत्र की प्रति भी रिकॉर्ड और संदर्भ के लिए प्रस्तुत की जाए।
3. बाद के महीनों में, संदर्भ के लिए सीपीआरएमएस-एनई सदस्य दावा प्रपत्रों के साथ जीवन प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न कर सकते हैं।
4. जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले सीपीआरएमएस-एनई सदस्यों की सूची दिनांक 10.12.2022 तक चिकित्सा एवं वित्त विभाग, एसईसीएल मुख्यालय के साथ साझा की जाएगी [और प्रावधानों के अनुसार SAP में अपलोड की जाएगी]।
5. **CPRMS-NE कार्ड में पुनर्वैधीकरण नहीं किया जाएगा।**

Contributory Post Retirement Medicare Scheme for Non-Executives सीपीआरएमएस-एनई (संशोधित) चिकित्सा योजना कोल इंडिया लिमिटेड [www.coalindia.in -> मेनू -> सूचना बैंक -> परिपत्र] तथा एसईसीएल [www.secl-cil.in -> सेवाएँ -> चिकित्सा सेवाएँ -> CPRMS-NE (Modified)] की वैबसाइट पर उपलब्ध है।



## **NOTICE FOR CPRMS-NE MEMBERS AVAILING BENEFITS FROM SECL HQ, BILASPUR**

As per Clauses No. 5.3 & 5.4 of CPRMS-NE (Modified) [As circulated by GM(MP&IR), CIL vide letter no. 137 dtd. 08.04.2020 & amended vide O.M. No. 216 dtd. 18.11.2021 of GM(MP&IR), CIL and ref. no. 348 dtd. 28.10.2022 of ED(P)/HoD(MP&IR), CIL], all the members [Retired Non-Executive and/or Spouse and Divyang Child(ren), if any] are required to submit **Life Certificate** every year in the month of **November**.

For the year 2022, following modalities shall be followed for submission of Life Certificate in respect of CPRMS-NE Members availing benefits under the scheme from SECL HQ, Bilaspur:

1. **Timing:** 11 am to 1 pm on working days
2. **Location:** CPRMS-NE Cell, SECL HQ
3. **Documents to be submitted by Members:**
  - i. Life Certificate in prescribed format duly signed by both beneficiaries, as applicable
  - ii. Self attested copy of Medical Card [ & Office Order regarding benefits from SECL HQ, if any]
  - iii. Self attested copy of Aadhar Card [for identity]

### **Note:**

1. *In case member is not able to present themselves physically, Life Certificate must be attested by any of the persons mentioned at Clause 5.3 of CPRMS-NE (Modified); In such cases, photographs of both members, as applicable, must be pasted over Life-Certificate and attested by the official certifying the same.*
2. *In case concerned member is sending attested Life Certificate through someone else, copy of Identity Certificate of person bringing Life Certificate [duly attested along with photograph as above] must also be submitted for record and reference.*
3. *For reference, members may attach a copy of Life Certificate along with Claim Forms in subsequent months.*
4. *List of CPRMS-NE Members submitting Life-Certificate would be shared with Medical & Finance Departments, SECL HQ [ & uploaded in SAP as per provisions] by 10.12.2022.*
5. **Revalidation on CPRMS-NE Card shall not be done.**

Contributory Post Retirement Medicare Scheme for Non-Executives (CPRMS-NE) (Modified) is available on website of Coal India Limited [ [www.coalindia.in](http://www.coalindia.in) -> Menu -> Info Bank -> Circulars] as well as SECL [ [www.secl-cil.in](http://www.secl-cil.in) -> Services -> Medical Services – CPRMS-NE (Modified)].

**ANNEXURE D****D. LIFE CERTIFICATE (जीवन प्रमाण पत्र)  
TO WHOM IT MAY CONCERN****Medical Card No. under CPRMSNE**

सी.पी.आर.एम.एस.एन.ई. मेडिकल कार्ड संख्या: \_\_\_\_\_

<b>Ex-Employee (भूतपूर्व कर्मचारी)</b>		<b>Spouse (पति/पत्नी)</b>	
Name नाम		Name नाम	
Aadhar No. आधार संख्या		Aadhar No. आधार संख्या	
Mobile No. मोबाइल नं.		Mobile No. मोबाइल नं.	
Certified that I am alive and putting my signature / LTI / RTI as a token of proof. प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं जीवित हूँ और अपना हस्ताक्षर (या बाएं/दायें अंगूठे का छाप) कर रहा हूँ।		Certified that I am alive and putting my signature / LTI / RTI as a token of proof. प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं जीवित हूँ और अपना हस्ताक्षर (या बाएं/दायें अंगूठे का छाप) कर रहा हूँ।	
<b>Signature / LTI / RTI</b> हस्ताक्षर / बाएं/दायें अंगूठे का छाप		<b>Signature / LTI / RTI</b> हस्ताक्षर / बाएं/दायें अंगूठे का छाप	
Name नाम		Name नाम	
Present Address वर्तमान पता		Present Address वर्तमान पता	
Date / दिनांक		Date / दिनांक	
Place / स्थान		Place / स्थान	

**Note/नोट:**

1. Please fill all columns | कृपया सभी मद भरें
2. Signature/LTI/RTI of both members, if available, is mandatory  
दोनों सदस्यों का (यदि उपलब्ध है) हस्ताक्षर अथवा बाएं/दायें अंगूठे का छाप अनिवार्य है
3. Please attach self attested recent passport size photograph, if physically not coming  
यदि शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हैं, तो कृपया स्व-प्रमाणित पासपोर्ट आकार की तस्वीर संलग्न करें

**Counter Signature (with seal) of**

1. Gazetted Officer of Central Govt. or State Govt. OR
2. Branch Manager of the Bank where the concerned retired non-executive and/or spouse is maintaining the Saving Bank Account
3. Registered Medical Practitioner with Regn. No. OR
4. Officer of the Company from where the medical facility is obtained